



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021—चैत्र 2, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021

क्र. एफ-2-13-2021-इक्सठ-लोसे प्र-61-1-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-507-742-लो.से.प्र.-इक्सठ-01-पी.एस.जी.-14, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 में संशोधन करते हुए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील के निराकरण की गयी समय-सीमा	प्रथम अपील की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.3	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	परियोजना अधिकारी	60 कार्य दिवस.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.